Research Paper Political Science

Hkkjr esa jkT; d suhfr funs'kd rRo %d Y; kkdkjh jkT;
The Directive Principles of State Policy in India : Welfare State

Dr.Surya Bhan Singh

Assistant Professor & Coordinator :Dept.of Political Science , Uttarakhand Open University ,Haldwani,Nainital

ABSTRACT

भारत को लंबे संघर्श के पष्चात आजादी प्राप्त हुई। आजादी के बाद संसदीय लोकतन्त्र अपनाया। जहाँ जनता को अब सरकार को बनाने और उसका हिस्सा बनने का अधिकार प्राप्त हुआ, बिना किसी भेद–भाव के। आजादी के समय देष के लोगों में गरीबी, अषिक्षा, बेरोजगारी तथा मानव जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूर्ण करने में सामर्थ्य बहुत सीमित थी। ऐसे में जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जिसमें जनप्रतिनिधि षासन का संचालन करेंगे। उनकी प्राथमिकताएं बदल गई। वह हो गई अब देष के लोगों का सामाजिक, आर्थिक उन्नयन ताकि भारतीय जनमानस को गरिमापूर्ण, भातृत्व की भावना के साथ अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्राप्त हो सके। उक्त के संबंध में प्रावधान विषेश रूप से भारतीय संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निदेषक तत्व में किये गये।

इस नीति निदेषक तत्व के प्रावधान के कारण भारतीय संविधान के इस भाग को सामाजिक–आर्थिक उन्नयन को प्रोत्साहित करने वाला और राज्य को कल्याणकारी स्वरूप देने वाला कह सकते हैं। इस षोध पत्र में नीति निदेषक तत्व और राज्य की प्रकृति के इसी पक्ष का अध्ययन किया गया है।

KEYWORDS

Hkkjrh; lafo/kku esa jkT; d suhfr funs'kd rRo %जब भारत आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं का प्रमुख लक्ष्य था कि एक ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को आगे बढ़ाया जाए जिससे कि परम्परागत भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस उददेष्य को ध्यान में रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना को लक्ष्य बनाया गया तो इस लक्ष्य को और विस्तृत रूप देते हुए भारत के संविधान के भाग–4 में राज्य के नीति निदेषक तत्व का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में अब हम इन निदेषक तत्वों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि यही वे प्रावधान हैं जा राज्य को कल्याणकारी प्रकृति प्रदान करते हैं।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का कथन इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है। राज्य के नीति निदेषक सिद्धान्तों का मुख्य उददेष्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। वे निदेषक सिद्धान्त इस प्रकार हैं–

अनुच्छेद 37 कहता है कि ये निदेषक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होने के बावजूद ये देष के षासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का दायित्व है।

इसके आगे जाते हुए अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक–कल्याण की उन्नति हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इससे स्पश्ट है कि राज्य का उददेष्य लोक कल्याण है। इसकी सिद्धि के लिए राज्य व्यवस्था बनाए रखेगा अर्थात लोक कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण को स्थापित करेगा।

अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिष्चित हो सके, जैसे[1]

क. सभी नागरिकों (स्त्री–पुरूश) को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

ख. समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से सिद्धि हो सके।

ग. आर्थिक व्यवस्था का परिचालन इस प्रकार हो कि धन और उत्पादन के साधनों का जन साधारण के हित के लिए अलाभकर संकेन्द्रण न हो।

घ. स्त्री और पुरूश दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

ड. श्रमिक पुरूश और स्त्रियों का स्वास्थ्य और षक्ति, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो तथा आर्थिक आवष्यकता से विवष होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या षक्ति के अनुकूल न हो।

च. बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं तथा षैषव और किषोरावस्था का षोशण से, नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।

अनुच्छेद 39क इस बात का प्रावधान करता है कि आर्थिक या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय पाने से वंचित न जाए। राज्य उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा या अन्य रीति से निःषुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

इसके अतिरिक्त देष में लोकतन्त्र को तृणमूल स्तर तक स्थापना के लिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुपालन में 73वें संवैधानिक संषोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया।

संविधान का यह भाग यहीं नहीं रूकता है, इसके आगे अनुच्छेद 41 द्वारा यह प्रावधान करता है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, षिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अंगहीन तथा अन्य अभाव की दषाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का उपबन्ध करेगा।

इसके सन्दर्भ हमें स्पश्ट रूप से दिखाई देता है वृद्धावस्था पेंषन, रोजगार के विभिन्न कार्यक्रम, निःषुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, निःषुल्क अनिवार्य षिक्षा का प्रबन्ध करते हुए राज्य जन कल्याण और जन पोशण के अपने लोकतान्त्रिक दायित्व का निर्वाह करने का उत्तरोत्तर प्रयास कर रहा है।

नीति निदेषक तत्व के अनुच्छेद 42 के द्वारा प्रावधान करता है कि काम की न्यायसंगत और मनोवांछित दषाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का अधिकार है। इसके अनुपालन में आज सरकारों के द्वारा प्रसूति से पूर्व पोशण, प्रसूति की सुविधाएं और प्रसूति पष्चात आर्थिक सहायता देने का कार्य भी सरकारें कर रही हैं।

अनुच्छेद 44 भारत में रहने वाले समस्त नागरिकों के लिए राज्य एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 45 में बालकों के निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा का प्रावधान करने की व्यवस्था है। जिसके अनुपालन में 86वें संवैधानिक संषोधन के द्वारा अनुच्छेद 21क जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्श तक की आयु के बच्चों के लिए निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अर्थात अब राज्य के लिए यह बाध्यता है कि वह उक्त उम्र तक बच्चों को अनिवार्य रूप से षिक्षा का प्रबन्ध करें। इस उपबन्ध से लाभ यह है कि इसके प्रवर्तन के लिए न्यायालय की षरण ली जा सकती है।

अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों विषेशकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए षिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के षोशण से सुरक्षा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 47 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने लोगों के पोशाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य मानेगा तथा मादक पेय पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकाकरक औशधियों के औशधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त उपभोग का प्रतिशेध करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 48– राज्य कृशि और पषुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित कर गायों, बछड़ों अन्य दुधारू और वाहक पषुओं की नस्ल के परीक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिशेध करने का कदम उठायेगा।

अनुच्छेद 48क– राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।

d Y; k kd kj h j kT; %राज्य की प्रकृति कैसी है इस बात का निर्धारण, उसके द्वारा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए निभाई जाने वाली भूमिका से तय होता है। सकारात्मक उदारवादी विचारक राज्य की सकारात्मक भूमिका को महत्व देते हैं। इन्होने व्यक्तिवाद से स्वतन्त्रता और साम्यवाद से सामाजिक–आर्थिक न्याय का विचार लेकर कल्याणकारी राज्य के विचार को आगे बढ़ाया है।[11]

कल्याणकारी राज्य षब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 'आर्कबिषप टैम्पिल' ने अपने सिटिजन एण्ड चर्चमैन में अधिनायकों के सत्तावादी राज्य षब्द के विरोध में किया। इसमें व्याधि, अज्ञान, गंदगी, बेगारी और गरीबी को दूर करने के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका को इंगित किया है। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन परम्परा में कौटिल्य का यह कथन कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानाम च हिते हितम्। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है के विचार में भी कल्याणकारी राज्य का ही संकेत है। आधुनिक समय में लार्ड विलियम वेवरिज की रिपोर्ट (1943) में बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी तथा आश्रयाभाव के उन्मूलन के लिए राज्य की भूमिका की बात की गई है। यहां एक तथ्य और स्पश्ट करना आवष्यक है कि चूंकि वेवरिज रिपोर्ट को ब्रिटेन लेबर पार्टी की सरकार ने लागू किया इसलिए ब्रिटेन को आधुनिक कल्याणकारी राज्य की जननी कहा जा सकता है।[11]

ulfr funs'kd rRo %d Y; k kd kj h jkT; %आजादी के समय भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अषिक्षा, परम्परागत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्योग्यताओं की समस्या थी। यद्यपि इनके निराकरण के लिए भारत के सविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं अर्थात मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की बाधा व्यक्ति या राज्य किसी भी तरफ से उत्पन्न की जाती है तो प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि उक्त के लिए वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से उपचार प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोकतान्त्रिक मूल्यों के अनुरूप प्रयास किये जा रहे हैं जिससे कि आम जनमानस न्यूनतम बुनियादी आवष्यकताओं की पूर्ति आसानी से करते हुए गरिमामय जीवनयापन कर सकें।

नीति निदेषक तत्वों के द्वारा इस बात का भी प्रावधान किया गया कि राज्य स्त्री–पुरूशों में किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन के संबंध में नियम बनाते हुए तदनुरूप कार्यवाही करें तभी लोकतान्त्रिक समाज की स्थापना में देष अग्रसर हो पायेगा।

समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्य करने हेतु भी मार्गदर्षक का कार्य निदेषक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। यहीं नहीं कुछ विषेश स्थितियों में जैसे–बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता में तो सार्वजनिक सहायता का भी निर्देष दिया गया है और सरकार के द्वारा इस दिषा में प्रयास भी किया जा रहा है। जैसे– वृद्धावस्था पेंषन, निःषुल्क चिकित्सा सुविधाएं सार्वजनिक चिकित्सालयों में बी.पी.एल. कार्ड–धारकों को देष के पंजीकृत निजी अस्पतालों में भी सरकारी खर्च पर चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ–विकलांगता के षिकार लोगों के लिए उनकी आवष्यकता के अनुरूप बुनियादी षिक्षा से लेकर विष्वविद्यालयी षिक्षा तक के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का कार्य सरकारें कर रही हैं। कार्य की दषाओं को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रावधान किये गये है जिसमें काम के घंटे तय करने के साथ उसमें कुछ बुनियादी अधिकार की व्यवस्था की गई है जिससे कार्यस्थल पर सम्मान के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें।

किसी भी समाज, राश्ट्र के भविश्य उसके नवजात होते हैं जिनके स्वास्थ्य, पोशण और षिक्षा का बेहतर प्रबन्ध, राश्ट्र को रचनात्मक भविश्य की ओर ले जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गर्भधारण से प्रसव तक, उसके उपरान्त भी राज्य के द्वारा निःषुल्क सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके आगे के क्रम में 6 से 14 वर्श तक के बालक/बालिका को निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर भारत सरकार ने संविधान निर्माताओं की उस सोच को साकार करने का कार्य किया है, जिसे संविधान निर्माताओं ने सोचते हुए ऐसे प्रावधान, संविधान के इस भाग में किये। ऐसा करना कल्याणकारी राज्य की दिषा में भारत के एक ओर बढ़ते हुए कदम का प्रतीक है तो यह लोकतान्त्रिक प्रवृत्तियों के अनुरूप भी है। मौलिक अधिकारों के अध्याय में अनुसूचित जातियों–जनजातियों और पिछड़ों को समानता के स्तर पर लाकर खड़ा करने का प्रावधान है। नीति निदेषक तत्व में इसके आगे जाते हुए वर्ग आधारित कल्याकारी कार्यक्रमों और नीतियों को आगे बढ़ाने की भी बात करता है। देष की कृशि, पषुपालन जिसमें विषेश रूप से नस्ल सुधार और गोवध प्रतिशेध का प्रावधान कर मार्गदर्षक का कार्य किया है जिस पर बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ करना बाकी है।

स्वतन्त्रता के पष्चात संविधान लागू होने पर अनुच्छेद 39ख के अनुपालन में सरकार ने जमीदारी प्रथा को समाप्त करके भूमि को जोतने वालों को उसका मालिक बना दिया। अनुच्छेद 40 के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान कर उसे लागू किया गया है। गाय, बछड़ों अन्य उपयोगी पषुओं के वध का निशेध किया गया।

इस प्रकार से भारत के संविधान में वे सभी प्रावधान किये गये हैं जो राज्य को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं। उन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार ने बहुत कुछ किया है जैसा कि हमने अध्ययन में पाया है, परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। यद्यपि ये निदेषक सिद्धान्त न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, परन्तु लोकतन्त्र में सरकार जनता के हितों को साकार करने वाली, उनकों पोशित करने वाली, नीतियों से जुड़े सिद्धान्त, जो इसमें उल्लिखित हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकती है। क्योंकि प्रतिपल अपने कार्यो के लिए अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह हैं।

REFERENCES

1-t ;ujk;u ikM s %Hkkjr dk lfo/kku]2- czfd'kksj "kekZ%Hkkjrh; lfo/kku] 2-t sihfl g %l lekft d ifjorZu] 3-: ikeaxyuh%Hkkjrh; "kklu ,oajkt uhfr] 4-vkj-,u-fro;ah],e-ih-jk;%Hkkjrh; ljdkj ,oajkt uhfr] 5-johUnzHkkjr %rkfd cpkjgsyksdrU=] 6-MkW,u- flg %nfyr lkfgR d sifrekn] 7-,e-,u- Jhfuokl %vkdkqn Hkkjr esa lekft d ifjorZu] 8-jke vgwk%Hkkjrh; lekt] 9-Louis Dumont : Homo Hierarchicus, 10. lhch- xuk %rqukRed jkt uhfr ,oajkt uhfr d lkFk,a]11-t sl hts kqjh %vkdkqn jkt uhfr foKku d sfl)kUr A